MT-13

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : देवधा

निरीक्षण की तिथि : 18–11–2002

डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

डा० बी० राजेन्द्र, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 18-11-2002 को देवधा थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

1- परिचय :-

देवधा थाना की स्थापना सप्तम वित्तीय आयोग के अनुशंसा के आधार पर गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 1/8-1-101/80 गृ०आ० 1828, दिनांक 25 फरवरी, 1981 के द्वारा जयनगर थाना का सहायक थाना के रूप में कार्यरत है । बताया गया कि 1932 से पूर्व यह सहायक थाना बीट हाउस के रूप में जाना जाता था । जिला मुख्यालय से देवधा थाना की दूरी लगभग 50 कि०मी० है एवं भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित है । थाना प्रभारी ने बताया अन्तर्राष्ट्रीय सीमा देवधा थानासे एक कि०मी० की दूरी पर है । यह थाना जयनगर आरक्षी अनुमण्डल के अन्तर्गत आता है एवं आवागमन के लिए पक्की एवं खरंजा सड़क उपलब्ध है । परन्तु जयनगर मुख्य मार्ग से यहाँ आने वाली सड़क की स्थिति अत्यन्त ही जर्जर है । सड़क की मरम्मति आवश्यक है । इस हेतु माननीय सांसद/विधायक से राशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाय । साथही कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, मधुबनी को पथ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है ।

थाना परिसर बहुत ही सुन्दर है । थाना के बाँये तरफ एक निजी तालाब है । थाना परिसर के बीचोबीच माँ कृष्णा देवी का एक मन्दिर है । अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर यह थाना अवस्थित होने के कारण अतिसंवेदनशील है, फलस्वरूप थाना परिसर का बाउन्ड्री-वाल की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी के माध्यम से इस थाना का बाउन्ड्रीवाल कराने हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए बिहार पुलिए बिल्डिंग कन्सट्रक्शन विभाग एवं गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध करें । इस थाना के उत्तर में नेपाल काखुरी थाना मात्र 3 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है । इस थाना के दक्षिण में जयनगर थाना 6 कि०मी० की दूरी पर, पश्चिम में बासोपट्टी थाना करीब 15 कि०मी० की दूरी पर स्थित है । इस थाना के 6 कि०मी० की दूरी पर कमला नदी है । इस थाना केअन्तर्गत 4 पंचायत, एक सर्किल, 9 गाँव है । इस थाना का क्षेत्रफल 11 स्कावयर वर्ग मील है तथा इसकी आवादी 25,900 है ।

लगभग 24 दिन पूर्व सूचना दिये जाने के बावजूद भी अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, जयनगर एवं आरक्षी निरीक्षक, जयनगर अंचल, निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाये गये, जो खेदजनक है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से स्पष्टीकरण

लगातार.....2/-

प्राप्त कर वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे । साथ ही यह भी निर्देश देंगे कि वरीय पदाधिकारी के निरीक्षण के समय भवकिय में निश्चित रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

इस थाना का "देवधा" नाम कैसे पड़ा, पूछने पर थाना प्रभारी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके । परन्तु थाना के बगल के एक स्वतंत्रता सेनानी ने बताया पुराने जमाने की बात है, लोग कहते हैं कि श्री रामचन्द्र जी जब "जनकपुर" के लिए प्रस्थान किये तो यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम किये थे । उसी समय से इसका नाम "देवधा" अर्थात देवों का धाम नाम पड़ा । थानाप्रभारी ने बताया देवधा थाना अन्तर्गत कोई पुलिसपिकेट नहीं है ।

2-भवन :-

थाना भवन अपने भवन में कार्यरत है । थाना परिसर में ही थानाप्रभारी एवं सहायक अवर निरीक्षकों का आवास है । थाना परिसर का सीमांकन नहीं किया गया है, जबकि थाना भवन करीब दो एकड़ जमीन में अवस्थित है । इसका सीमांकन आवश्यक है । अंचल अधिकारी, जयनगर को निर्देश दिया जाताहै कि देवधा थाना का अक्षिम्ब नापी कराकर इसका सीमांकन एक सप्ताह के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे । भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टिकोण से थाना परिसर का चहार-दिवारी का होना नितान्त आवश्यक है । इस थाना परिसर का चहारदिवारी के निर्माण हेतु आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी अपने स्तर से कार्रवाई करने की कृपा करें । थाना भवन के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि इस थाना में महिला एवं पुरुष हाजत है । इसके अतिरिक्त थाना में बैरेक भी बना हुआ है । थानापरिसर में कोयला पड़ा हुआ पाया गया । थानाप्रभारी से पूछने पर बताया गया कि कोयला को जप्त किया गया है एवं काण्ड अंकित किया गया है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में व्यवहार न्यायालय से इसकी छानबीन कर कोयला के निष्पादन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें । थाना में गाड़ी उपलब्ध है, जिसका नं0-बी0आर0-1-जे॰-2321 है । थाना में दूरभाष की सेवा उपलब्ध नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित इस थाना में दूरभाष की सेवा उपलब्ध रहना आवश्यक है । थाना में बिजली का कनेक्शन है ।

3- प्रभार :-

श्री विनोद राम, अवर निरीक्षक दिनांक 5-9-2002 से थानाप्रभारी के प्रभार में है । इनके पूर्व अवर निरीक्षक डी0पी0 साह थानाप्रभारी के रूप में कार्यरत थे । अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार वर्ष 1989 से इस थाना में पदस्थापित थाना

लगातार.... 3/-

प्रभारियों की सूची बनाई गई है एवं थाना प्रभारी के कार्यालय प्रकोष्ट में टांगा गया है । जब यह थाना 1981 से सहायक थाना के रूप में कार्यरत है,तो तब से पदस्थापित सभी थाना प्रभारियों का पदस्थापन सूची थाना प्रभारी के कार्यालय प्रकोष्ट में टंगी रहनी चाहिए,जो नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि वर्ष 1981 से पदस्थापित सभी थाना प्रभारियों का नाम एवं कार्यविधि का नामपट्ट कार्यालय प्रकोष्ट में टंगवाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । वर्ष 1989 से देवधा थाना में पदस्थापित थानाप्रभारियों का नाम एवं कार्यविधि निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	संवर्ग	कार्य अवधि
1-	बसंत कुमार	अवर निरीक्षक	29-08-1989 से 06-02-1992 तक
2-	जगरूप राम	अवर निरीक्षक	07-02-1992 से 02-09-1993 तक ।
3-	परशुराम राम	अवर निरीक्षक	03-09-1993 से 18-04-1994 तक ।
4-	उदय चन्द्र प्रसाद	अवर निरीक्षक	19-04-1994 से 15-06-1995 तक ।
5-	नित्यानंद झा	अवर निरीक्षक	16-06-1995 से 28-01-1996 तक ।
6-	अम्बिका सिंह	अवर निरीक्षक	29-01-1996 से 27-06-1996 तक ।
7-	बी0एन0सिंह	अवर निरीक्षक	28-06-1996 से 27-08-1997 तक ।
8-	रामध्यान सिंह	अवर निरीक्षक	28-08-1997 से 24-12-1998 तक ।
9-	केदार नाथ प्रसाद	अवर निरीक्षक	25-12-1998 से 18-08-2000 तक ।
10-	ए0इन्दवार	अवर निरीक्षक	19-08-2000 से 26-06-2001 तक ।
11-	डी0पी0साह	अवर निरीक्षक	27-06-2001 से 04-09-2002 तक ।
12-	विनोद राम	अवर निरीक्षक	05-09-2002 से अद्यतन ।

4- स्थापना:-

देवधा थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	अतिरिक्त
1-	अवर निरीक्षक	2	2	-	-
2-	सहायक अवर निरीक्षक	1	1	-	-
3-	हवलदार	-	-		
4-	आरक्षी	8	3	5	-

लगातार....4/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरक्षी बल के 8 स्वीकृत बल के विरूद्ध मात्र 3 ही आरक्षी इस थाना में पदस्थापित हैं । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी कृपया समझा कर रिक्त स्थानों के विरूद्ध पदस्थापन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

स्वीकृत बल के विरूद्ध पदाधिकारियों/आरक्षियों के पदस्थापन की स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	पद	नाम	पदस्थापन की तिथि	पूर्व पदस्थापन	गृह पता
1-	अवर निरीक्षक	विनोद राम	05-09-2002	पतौना ओ0पी0	ग्राम-रतनपुरा, थाना-चनपटिया, जिला-पश्चिमी चम्पारण ।
2-	अवर निरीक्षक	महेन्द्र प्रसाद	30-08-2001	तकरी थाना	ग्राम-अफीम कोटी, थाना-नगर थाना, जिला-भोजपुर ।
3-	सहायक अवर निरीक्षक	सर्वानन्द सिंह	30-01-2001	आरक्षी केन्द्र	ग्राम-बाबक, थाना-पुनपुन, जिला-पटना ।
4-	सहायक अवर निरीक्षक	सुशील झा	07-02-2001	आरक्षी केन्द्र	ग्राम-उजान, थाना-सकतपुर, जिला-दरभंगा ।
5-	आरक्षी-345	विजय बहादुर सिंह	30-09-2002	आरक्षी केन्द्र	जिला-जहानाबाद ।
6-	आरक्षी-646	रामचन्द्र राम	03-09-2002	नगर थाना	ग्राम-रायहरपुर, थाना-हरसिधी जिला-मोतिहारी ।

5- पूर्व निरीक्षण :-

अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत निरीक्षण टिप्पणी में वर्ष 1990 से इस थाना का विभिन्न निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का उल्लेख किया गया है, जबकि यह थाना वर्ष 1932 से ही कार्यरत है । पुनः निर्देश किये जाने पर अवर निरीक्षक श्री महेन्द्र प्रसाद द्वारा वर्ष 1932 से इस थाना का विभिन्न निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी खोज कर प्रस्तुत किया गया । श्री प्रसाद प्रशंसा के पात्र हैं । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि श्री महेन्द्र प्रसाद, अवर निरीक्षक को समुचित राशि से पुरस्कृत करना चाहेंगे । निरीक्षण टिप्पणी की पंजियाँ अच्छे ढंग से संधारित की गयी है । इस थाना का वर्ष 1932 से निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

लगातार....5/-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	2	3	4	5	6
1-	ह0 अस्पष्ट	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	20-09-1932	20-09-1932	22-03-1933
2-	ह0 अस्पष्ट	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	22-02-1933	02-03-1933	05-03-1933
3-	ह0 अस्पष्ट	डी0आई0खजौली	20-12-1933	30-12-1933	03-01-1934
4-	ह0-अस्पष्ट	डी0आई0, खजौली	19-06-1934	19-06-1934	25-06-1934
5-	ह0 अस्पष्ट	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	21-11-1934	30-11-1934	26-12-1934
6-	श्री जे0ई0परमस	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	28-01-1935	29-01-1935	07-02-1935
7-	ह0अस्पष्ट	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	15-11-1935	18-12-1935	20-12-1932
8-	ह0 अस्पष्ट	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	05-10-1936	05-11-1936	30-11-1936
9-	ह0 अस्पष्ट	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	31-10-1937	16-11-1937	15-12-1937
10-	ह0 अस्पष्ट	डी0आई0खजौली	16-10-1938	16-10-1938	18-10-1938
11-	ह0 अस्पष्ट	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	22-10-1938	26-10-1938	31-10-1938
12-	श्री टी0जे0 वाल्टर	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	11-03-1939	20-03-1939	23-04-1939
13-	श्री राय साहब अनोहीत सिंह	अनुमंडल आ0प0दा0मधुबनी	14-10-1939	31-10-1939	28-02-1940
14-	श्री ए0डी0मंगारी	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	22-03-1940	31-03-1940	28-04-1940
15-	श्री राय साहब अनोहीत, सिंह	अनुमंडल आ0प0दा0मधुबनी	16-02-1941	22-02-1941	30-03-1941
16-	श्री जे0ई0विशप	सहायक आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी ।	16-10-1941	24-10-1941	30-10-1941
17-	श्री सी0सी0विटेकर	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	18-12-1941	21-01-1942	16-02-1942
18-	ह0अस्पष्ट	डी0आई0खजौली	10-11-1942	16-11-1942	14-12-1942
19-	ह0 अस्पष्ट	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	12-11-1942	21-11-1942	08-02-1943
20-	ह0 अस्पष्ट	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	02-12-1942	16-12-1942	03-01-1943
21-	श्री आर0ओझा	अनुमंडल आ0प0दा0मधुबनी	30-12-1942	10-01-1943	11-01-1943
22-	ह0 अस्पष्ट	डी0आई0खजौली	27-02-1943	01-03-1943	04-05-1943

लगातार.....6/-

23-	श्री मिश्रा	सहायक आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी ।	11-01-1944	01-02-1944	18-03-1944
24-	ह0 अस्पष्ट	डी0आई0 खजौली	27-02-1944	27-03-1944	08-03-1944
25-	ह0 अस्पष्ट	डी0आई0खजौली	26-03-1945	26-03-1945	05-04-1945
26-	श्री एन0के0राज	अनमंडल आरक्षी पदा0मधु0	28-04-1945	04-09-1945	07-09-1945
27-	श्री ब्रज भूषण प्रसाद	आरक्षी निरीक्षक, खजौली	24-05-1946	30-05-1946	02-06-1946
28-	श्री ए0के0राय	अनमंडल आ0पदा0मधुबनी	12-12-1948	26-12-1948	03-02-1949
29-	श्री एस0 राय	अनमंडल आ0पदा0मधुबनी	16-10-1951	01-11-1951	05-03-1951
30-	श्री एस0 राय	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	28-05-1952	03-05-1952	07-06-1952
31-	श्री एस0 राय	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	26-12-1953	30-12-1953	27-01-1954
32-	श्री एस0पी0सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	18-12-1954	26-12-1954	25-02-1955
33-	श्री बी0 रिभाइजर	डी0आई0खजौली	14-11-1955	22-11-1955	17-12-1955
34-	श्री एस0 चौबे	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	29-11-1956	16-12-1956	01-03-1957
35-	श्री आर0एन0सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	29-12-1956	31-12-1956	30-01-1957
36-	श्री बी0 रिवाइजर	डी0आई0खजौली	23-03-1957	04-04-1957	05-05-1957
37-	श्री एस0 चौबे	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	27-09-1957	01-10-1957	11-10-1957
38-	श्री आर0एन0सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	30-10-1957	01-03-1958	10-03-1958
39-	श्री बी0 रिभाइजर	डी0आई0, खजौली	09-06-1958	09-06-1958	23-06-1958
40-	श्री एम0पी0 लबेरी	डी0आई0खजौली	14-11-1958	26-11-1958	10-12-1958
41-	श्री एम0पी0सिंह	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	29-10-1959	30-10-1959	18-11-1959
42-	श्री ए0एन0लिजर	डी0आई0खजौली	13-10-1960	23-10-1960	15-11-1960
43-	श्री एस0पी0सिंह	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	27-07-1960	02-01-1961	12-01-1961
44-	श्री एस0बी0सहाय	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	27-03-1961	01-04-1961	05-05-1961
45-	श्री एस0बी0सिंह	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	31-10-1961	02-11-1961	22-11-1961
46-	श्री ए0एन0सिंह	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	21-01-1962	21-01-1962	24-01-1962
47-	श्री ए0एन0सिंह	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	23-04-1962	23-04-1962	14-06-1962
48-	श्री बी0बी0सारण	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	28-10-1962	30-10-1962	11-11-1962

लगातार.....7/-

49-	श्री यू0एन0झा	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	09-02-1963	03-05-1963	08-05-1963
50-	श्री यू0एन0झा	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	30-07-1963	02-08-1963	05-09-1963
51-	श्री अमर नाथ प्रसाद	अनुमंडल आ0प0दा0मधुबनी	23-02-1964	27-02-1964	06-03-1964
52-	श्री ए0चौधरी	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	20-11-1964	30-11-1964	01-12-1964
53-	श्री बी0एन0झा	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	23-03-1965	27-03-1965	04-05-1965
54-	श्री ए0एन0प्रसाद	अनुमंडल आ0प0दा0, मधुबनी	30-10-1965	08-11-1965	30-12-1965
55-	श्री ए0कुमार	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	05-03-1966	08-04-1966	16-05-1966
56-	श्री जी0पी0तिवारी	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	12-05-1966	16-06-1966	30-07-1966
57-	श्री अमरनाथ पाल	अनुमंडल आ0प0दा0मधुबनी	29-06-1966	03-07-1966	05-08-1966
58-	श्री आर्0पी0तिवारी	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	29-11-1966	03-12-1966	29-12-1966
59-	श्री पी0राजन	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	14-03-1967	11-04-1967	30-04-1967
60-	श्री वी0 राम	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	20-11-1967	03-12-1967	21-12-1967
61-	श्री बी0राम	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	18-04-1968	30-04-1968	07-05-1968
62-	श्री आर0पी0सिंह	अनुमंडल आ0प0दा0मधुबनी	28-01-1969	03-02-1969	04-02-1969
63-	श्री बी0राम	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	17-02-1969	27-02-1969	05-03-1969
64-	श्री पी0राजन	अपर आरक्षी अधीक्षक, मधु0	23-03-1969	01-04-1969	30-04-1969
65-	श्री आर0पी0सिंह	अनुमंडल आ0प0दा0मधुबनी	28-11-1969	06-12-1969	16-12-1969
66-	श्री पी0राजन	आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा	02-01-1970	05-03-1970	08-04-1970
67-	श्री वी0राम	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	22-02-1970	28-02-1970	16-04-1970
68-	श्री बी0राम	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	27-08-1970	09-09-1970	10-11-1970
69-	श्री ए0के0पाण्डेय	अपर आरक्षी अधीक्षक, मधु0	15-09-1970	26-09-1970	03-10-1970
70-	श्री आर0बी0सिंह	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	17-08-1971	01-09-1971	12-09-1971
71-	श्री एन0मिश्रा	अपर आरक्षी अधीक्षक, मधु0	10-02-1972	26-02-1972	01-04-1972
72-	श्री पी0बी0शर्मा,	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	05-05-1973	16-05-1973	20-05-1973
73-	श्री आर0आर0प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	11-12-1973	15-12-1973	30-12-1973
74-	श्री आर0आर0प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	19-09-1976	27-09-1976	05-10-1976
75-	श्री केदार नाथ सिंह	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	17-11-1977	21-11-1977	06-12-1977
76-	श्री एस0एम0प्रसाद	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	21-11-1978	27-11-1978	12-12-1978

लगातार....8/-

77-	श्री बी0के0सिन्हा	अनुमंडल आ0पदा0मधु0	18-06-1979	28-06-1979	07-08-1979
78-	श्री के0पी0यादव	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	26-09-1979	01-10-1979	11-11-1979
79-	श्री नसीम अहमद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	24-01-1980	02-02-1980	05-03-1980
80-	श्री टी0प्रसाद	आरक्षी उपमहानिरीक्षक, दरभंगा ।	10-01-1981	16-01-1981	30-01-1981
81-	श्री बी0पी0वर्मा	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	28-03-1981	05-04-1981	30-04-1981
82-	श्री हरिशंकर शुक्ला	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	24-11-1981	27-11-1981	06-12-1981
83-	श्री बी0पी0वर्मा	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	22-02-1982	03-03-1982	23-03-1982
84-	श्री आर0सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	20-06-1982	27-06-1982	02-07-1982
85-	श्री बी0पी0वर्मा	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	29-10-1982	03-11-1982	27-11-1982
86-	श्री एम0एन0शुक्ला	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	31-03-1983	08-04-1983	30-04-1983
87-	श्री डी0एन0कुमार	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	08-09-1983	11-09-1983	17-09-1983
88-	श्री एम0एन0झा	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	29-10-1983	03-11-1983	22-11-1983
89-	श्री डी0डी0एन0कुमार	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	26-07-1984	30-07-1984	03-08-1984
90-	श्री एम0एन0झा	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	28-08-1984	03-09-1984	02-10-1984
91-	श्री एम0एन0झा	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	08-06-1985	30-06-1985	01-07-1985
92-	श्री देवनारायण कुमार	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	08-09-1985	16-09-1985	31-10-1985
93-	श्री निर्मल चन्द द्योंढियाल	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	10-01-1986	17-09-1986	10-10-1986
94-	श्री एम0एन0झा	अनु0आरक्षी प0दा0मधुबनी	27-05-1986	30-05-1986	16-06-1986
95-	श्री योगेन्द्र सिंह	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	29-08-1987	03-09-1987	30-09-1987
96-	श्री पुनत कुजुर	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	10-02-1987	21-12-1987	03-01-1988
97-	श्री अजीत दत्त	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	13-02-1988	27-02-1988	03-04-1988
98-	श्री पुनत कुजुर	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	03-12-1988	31-12-1988	05-02-1988
99-	श्री भूदेव तिवारी	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	30-05-1989	05-06-1989	27-07-1989
100-	श्री रणजीत कुमार	अनुमंडल आ0पदा0मधुबनी	17-01-1990	21-01-1990	26-02-1990
101-	श्री भूदेव तिवारी	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	17-07-1990	27-07-1990	08-08-1990
102-	श्री आर0आर0वर्मा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	08-09-1990	06-10-1990	02-11-1990

लगातार.....9/-

103-	श्री आर0के0प्रसाद	अनुमंडल आ0प0दा0मधुबनी	29-10-1990	30-10-1990	03-11-1990
104-	श्री ईश्वरी प्रसाद वर्मा	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	13-12-1990	15-12-1990	21-04-1991
105-	श्री एम0के0अंसारी	अनुमंडल आ0प0दा0मधुबनी	22-04-1992	23-04-1992	30-04-1992
106-	श्री के0एन0चौधरी	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	31-08-1992	01-09-1982	09-09-1982
107-	श्री पी0 आर0के0नायडू	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	27-11-1992	03-12-1992	28-03-1993
108-	श्री एम0के0अंसारी	अनुमंडल आ0प0दा0जयनगर	27-11-1993	30-11-1993	22-12-1993
109-	श्री एम0रहमान	अनुमंडल आ0प0दा0जयनगर	10-09-1995	11-10-1995	12-12-1995
110-	श्री शहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	21-10-1997	08-11-1997	02-01-1998
111-	श्री शम्स तबरेज	अनुमंडल आ0प0दा0जयनगर	05-03-1998	10-03-1998	11-05-1998
112-	श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	आरक्षी निरीक्षक, जयनगर	31-03-1999	01-05-1999	29-05-2000
113-	श्री शम्स तबरेज	अनुमंडल आ0प0दा0जयनगर	24-05-1999	31-05-1999	29-06-1999
114-	श्री एम0आर0नायक	सहायक आरक्षी अधीक्षक, जयनगर	20-11-2000	23-11-2000	02-01-2001
115-	श्री विश्लेश्वर कुमार सिंह	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	25-02-2001	03-04-2001	05-09-2001
116-	श्री एम0आर0नायक	सहायक आरक्षी अधीक्षक जयनगर	28-08-2001	10-09-2001	06-11-2001
117-	श्री विश्लेश्वर कु0सिंह	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	26-11-2001	10-12-2001	10-09-2002

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा इस थाना का पूर्व में निरीक्षण नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक मधुबनी द्वारा वर्ष 2001 के बाद, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, जयनग द्वारा वर्ष 2001 के बाद एवं आरक्षी निरीक्षक, जयनगर द्वारा वर्ष 1999 के बाद से इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है । सभी निरीक्षी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वर्ष में कम से कम एक बार अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले थाना का निरीक्षण अवश्य किया जाय।

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 32 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि " अनुमण्डल पदाधिकारियों को आरक्षी के संबंध में वही से शक्तियाँ प्राप्त है, जो अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को है । हर अनुमण्डल पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वे अपने अधिक्षेत्र के भीतर सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करें " । अतएव, अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

लगातार.... 10/-

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित पंजियों का अवलोकन किया । प्रायः सभी निरीक्षी पदाधिकारियों का निरीक्षण टिप्पणी एक ही पंजी में संधारित है एवं अनुपालन भी उसी में साँटा गया है । यह प्रथा ठीक नहीं है । नियमानुसार सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग पंजी(रक्षी संचिका) का संधारण होना चाहिए एवं उसी में संबंधित पदाधिकारी का निरीक्षण टिप्पणी एवं अनुपालन प्रतिवेदन चिपकाना चाहिए । निरीक्षण टिप्पणी की उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकांश निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब किया गया है, जो उचित नहीं है । नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए । यदि अन्तिम अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में कठिनाई हो तो अन्तरिम अनुपालन प्रतिवेदन तो अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है तो निरीक्षण का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन समय-सीमा के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें ।

श्री आर0आर0वर्मा, आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी द्वारा दिनांक 08-09-1990 को इस थाना का निरीक्षण किया गया है । निरीक्षण टिप्पणी का अवलोकन किया । निरीक्षण टिप्पणी में दिये गए निर्देश का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया गया है । थाना प्रभारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण टिप्पणी के अनुपालन में "अनुपालन किया जा रहा है, अनुपालन किया जायगा" जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं करें । दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया अथवा नहीं स्पष्ट रूप से उल्लेख रहना चाहिए । साथ ही किस पत्रांक/दिनांक से अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया का उल्लेख भी किया करें । थाना प्रभारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वर्ष 1932 से लेकर अद्यतन सभी निरीक्षण टिप्पणियों को बर्षवार अच्छे ढंग से रखना सुनिश्चित करें क्यों कि पूर्व निरीक्षण एक धरोहर होता है, जिससे उस थाना क्षेत्र एवं थाना के बारे में पूरी जानकारी मिलती है ।

6- थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 116 के तहत फार्म सं0-15 में थाना दैनिकी संधारित किया जाना है । इस थाना में यह दैनिकी सही ढंग से लिखा जा रहा है । यह दो प्रतियों में है । कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक के पास भेज दी जाती है । आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अंतिम दिन आरक्षी अधीक्षक को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेज दी जाती है।

लगातार.....11/-

थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है । यह कार्य प्रतिदिन 8-00 बजे पूर्वाह्न से अगले दिन 8-00 बजे पूर्वाह्न तक अर्थात 24 घंटे के चक्र में चलता रहता है । थाना दैनिकी में थाना क्षेत्र में जो भी घटनाएँ घटित होती है, उसकी प्रविष्टि की जाती है । इसके अतिरिक्त थाना के पदाधिकारी जब बाहर जाते हैं, उक्त तिथि को कोई हाजत में है अथवा नहीं, उक्त तिथि में मौसम कैसा रहा, थाना में कितनी राशि नगद रूप में है, कोई विदेशी थाना क्षेत्र में आया अथवा नहीं आदि की प्रविष्टि की जाती है । थाना दैनिकी के भौलूम 13963 के क्रमांक 139620 से लेकर 1396300 तक का अवलोकन किया । थाना दैनिकी के काण्ड संख्या 221 दिनांक 15-10-2002 का अवलोकन किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि इस समय कितवनी खातुन पे० मो० ओबैद, सा०-थाना-देवधा, जिला-मधुबनी, समय 19.15 बजे अपनी ननद शाहजहाँ खातून के साथ/जख्मी हालत में थाना आई एवं लिखित आवेदन दी। दोनों जख्मी का जख्म पत्र तैयार कर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एच०सी०जयनगर के पास जाँच एवं इलाज हेतु भेजा । जख्म प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जायगी । थाना दैनिकी नियमित रूप से लिखा जा रहा है ।

7- फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-118 के तहत फार्म सं०-16 में फिरारी पंजी संधारित करना है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंजी फट-चिट गयी है, जिसे बाईडिंग कराना आवश्यक है । थाना प्रभारी इसे सुनिश्चित करें । फिरारी पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि भाग संख्या-1 में 3 फिरारी क्रमशः (1) बिष्णी दास पे० अचक दास, सा०-देवधा काण्ड संख्या 2(4)/62 धारा 304 भा०द०वि० के अन्तर्गत नामजद अभियुक्त हैं (2) शामशुल पे० मो० युनुस (3) मो० युनुस पे० कुसैन दोनों साकिन-देवधा, काण्ड संख्या 91/89 धारा 498(ए)/494 भा०द०वि० एवं 3/4 दहेज निरोध अधिनियम के नामजद अभियुक्त हैं तथा भाग सं०-2 में (1) सफीक नदाफ पे० महमुद नदाफ, सा०-परसा, थाना-जयनगर, काण्ड संख्या-10/99 धारा 395 भा०द०वि० के नामजद अभियुक्त हैं । थाना प्रभारी ने बताया कि चारो फिरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु समय-समय पर छापामारी की जाती रही है, जो अब तक गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि फिरार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर औचक रूप से छापामारी करें एवं गुप्तचर के सहयोग से उनकी उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करें । साथ ही पंजी का मिलान डी०सी०बी० शाखा, मधुबनी से नियमित रूप से कराना सुनिश्चित करें ।

8- गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-171 के तहत फार्म संख्या-31ए में इस पंजी का संधारण किया जाना है । इस थाना में विहित

प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर विहित प्रपत्र प्राप्तकर संधारित करते हुए एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । वर्ष 2002 में गिरफ्तार किये गये अपराधियों की संख्या माहवार निम्नप्रकार है :-

1-	जनवरी-2002	-	1
2-	फरवरी-2002	-	1
3-	मार्च-2002	-	4
4-	अप्रैल-2002	-	शून्य
5-	मई-2002	-	शून्य
6-	जून-2002	-	1
7-	जुलाई-2002	-	शून्य
8-	अगस्त-2002	-	शून्य
9-	सितम्बर-2002	-	1
10-	अक्टुबर-2002	-	1
11-	नवम्बर-2002 (18-11-02 तक)	-	2
	कुल :-		11

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सघन अभियान चलाकर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्रवाई करें ताकि उनका मनोबल गिरे एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में आसानी हो ।

)- रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-109 के तहत फार्म सं0-50 में पंजी संधारित करना है, जो संचिका में संधारित किया गया है । संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि माह-नवम्बर, 2002 में कुल 17 वारंट एवं । कुर्की तामिला हेतु लंबित है । लंबित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नप्रकार है :-

लगातार.....13/-

पूर्व से लंबित		वर्त्तमान माह में प्राप्त		वर्त्तमान माह में निष्पादित		कुल लंबित	
वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की
19	01	02	-	04	-	17	01

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित वारंट एवं कुर्की का तामिला कराकर/निष्पादन कर एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । पदाधिकारीवार लंबित वारंट एवं कुर्की की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	लंबित वारंट	कुर्की	कुल
1-	अवर निरीक्षक	विनोद राम	-	1	1
2-	अवर निरीक्षक	महेन्द्र प्रसाद	6	1	7
3-	सहायक अवर निरीक्षक	सर्वानन्द सिंह	8	-	8
4-	आरक्षी-646	रामचन्द्र राम	3	-	3

10- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-130 के तहत फार्म नं0-25 में यह पंजी संधारित है । पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस पंजी का मिलान जिला शस्त्र पंजी से दिनांक 23-02-2001 को किया गया है । शस्त्र अधिनियम-48 के तहत वर्ष में एक बार इस पंजी का मिलान करवाना आवश्यक है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवर्ष इसका मिलान सुनिश्चित करें ।

इस थाना में कुल 14 आर्म्स लाईसेंस है, जिसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

§1§ एस0बी0बी0एल0	-	1
§2§ डी0बी0बी0एल0	-	14
§3§ रिवॉल्वर	-	शून्य
§4§ राईफल	-	शून्य
	कुल -	15

लगातार.... 14/-

11- हाजत पंजी :-

पुलिस हस्तक के भौलूम-11 के नियम 239 ए में फार्म संख्या 43 ए में यह पंजी संधारित करना है, किन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में इसे संधारित किया गया है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस पंजी को हाल में खोला गया है। पंजी का संधारण नियमानुसार अच्छे ढंग से किया गया है । यह एक महत्वपूर्ण पंजी है । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित जब कोई प्रतिवेदन की मांग की जाती है, तब इस पंजी का महत्व बढ़ जाता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का नियमानुसार सभी कॉलम को सही ढंग से संधारित करना सुनिश्चित करें एवं पंजी अद्यतन रखें ।

12- तख्ती नं0-1 :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 76 के तहत सख्तियों को संधारित करना है । तख्ती नं0-1 सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित होती है । थाना प्रभारी ने बताया कि सम्पत्ति का चार्ज नहीं हुआ है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर चार्ज का आदान-प्रदान करना सुनिश्चित करें । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि चार्ज दिलाने में अपने स्तर से कार्रवाई करने की कृपा करें ।

13- तख्ती नं0-2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम, पता, वेतनमान, पूर्व पदस्थापन स्थान एवं थाना में पदस्थापन की तिथि इस तख्ती में अंकित रहती है, जो अद्यतन स्थिति में है ।

14- तख्ती नं0-3 :-

इस तख्ती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति प्राप्त कारखाने, भंडार और दुकानों की सूची रखी जाती है । परन्तु इस थाना में यह मामला शून्य है ।

15- तख्ती नं0-4 :-

इस तख्ती में आयुध, गोला-बारूद भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थानाक्षेत्र

लगातार.... 15/-

में कोई भी आयुध फैक्ट्री का भंडार नहीं है ।

16- तख्ती नं0-05 :-

इस तख्ती में विष अधिनियम के अधीन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त दुकानों की सूची रखी जाती है । थानाप्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में विष अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञाप्ति प्राप्त कोई दुकान नहीं है ।

17- तख्ती नं0-6:-

इस तख्ती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त दुकानों की सूची रखी जाती है । थानाप्रभारी ने बताया इस थाना क्षेत्र में कोई भी अनुज्ञाप्ति प्राप्त उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियम के तहत दुकान नहीं है ।

18- तख्ती नं0-7:-

इस तख्ती में लंबित अन्वेषण कांड से संबंधित सूची रखी जाती है । सूची अद्यतन पाया गया ।

19- तख्ती नं0 - 8 :-

इस तख्ती में जुआ, गेमिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचनाएँ अंकित की जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में गेमिंग एवं जुआ का कोई अड्डा नहीं है ।

20- तख्ती नं0-9 :-

थाना क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार की सूचना इस तख्ती में अंकित की जाती है । तख्ती अद्यतन है एवं लगने वाले हाट-बाजार की स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	स्थान	दिन
1-	देवधा हाट	सोमवार, गुरूवार
2-	बलहा(नेपाल)	शनिवार, बुद्धवार
3-	महुआ(नेपाल)	मंगलवार, शुक्रवार एवं रविवार

लगातार.... 16/-

21- तख्ती नं0-10 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के पंचायतों के मुखियों, सरपंचों एवं सदस्यों की अद्यतन सूची नाम/पता सहित अंकित किया जाता है। पंजी अद्यतन एवं सूचीबद्ध है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि सांसदों/विधायकों/पार्षदों का नाम भी इसमें अंकित करें।

22- तख्ती नं0-11 :-

इस तख्ती में नियम 152 के तहत उन अधिकारियों एवं आरक्षी थानों की सूची रहती है, जिन्हें डाक-डाक सूचना भेजी जाती है। तख्ती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को एक भी पत्र नहीं भेजा गया है। क्या इस थाना से जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को कोई पत्र नहीं भेजा जाता है। थानाप्रभारी स्थिति स्पष्ट करें।

23- तख्ती नं0-12 :-

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है। इस तख्ती के अनुसार इस थाना में कुल दागियों की संख्या 8 हैं, जिन्हें श्रेणी-ए एवं बी में रखा गया है। स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	दागी संख्या	नाम/पिता का नाम	पता	अपराध शैली
1-	ए/271	तेतर दास पे0सुन्दर दास	ग्राम-इनरवा	डकैत
2-	ए/10	अब्दुला शाह पे0कुदरत शाह	ग्राम-देवधा	चोर
3-	ए/255	इतियात उर्फ इस्पात पे0-इलताफ	था0-देवधा	चोर
4-	ए/182	हीरा सदाय पे0जयनंदन सदाय,	था0-इनरवा	चोर
5-	ए/8	मो0 शाबीर नदाफ पे0-मो0 अमीन नदाफ	था0-रजौली	चोर
6-	ए/9	तफीउर रहमान उर्फ तफिया पे0-शेख खुर्शीद	था0-देवधा	चोर
7-	ए/270	नसीब मुसहर पे0 संता मुसहर	था0-इनरवा कचहरी	डकैत
8-	बी/299	दसई चमार पे0जनक चमार	था0-देवधा	चोर

लगातार....17/-

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाताहै कि तभी दागियों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें ।हो सकता है उपर्युक्त दागियों में से कुछ की मृत्यु भी हो गयी हो, फलस्वरूप उसकी छानबीन कर सूची से नाम हटाने का प्रस्ताव उचित माध्यम से आरक्षी अधीक्षक, को भेजना सुनिश्चित करें ।

24- सूची नं0-13 :-

इस सूची में सीमावर्त्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है । इस थाना में सक्रिय अपराधकर्मियों की सूची अद्यतन है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता हैकि सीमावर्त्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखें ।

25- सूची नं0-14 :-

इस सूची में अधिकारियों को भेजी जाने वाली विवरणियाँ रखी जाती है । सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को इस थाना से कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है । जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में बहुत से मामले थाने से ही संबंधित होते हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें एवं भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

26- सूची नं0-15 :-

इस सूची में थाना का मानचित्र रखा जाता है । मानचित्र संधारित है एवं थाना प्रभारी के कार्यालय प्रकोष्ट में दीवाल पर टंगा हुआ है । बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-131 के अनुसार रखे जाने वाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरमिची अस्तर वाला एक छपा हुआ, थाना मानचित्र भी टंगा रहेगा, जिस पर भट्ठियों, शराब की दूकानें, सार्वजनिक घाट, चौकीदारी यूनियन की सीमाएँ, सीमावर्त्ती आरक्षी थानों के चित्र काट-काटकर चिपकाये जायेंगे, नेपाल या अन्य देश के सह-सीमस्थ हों, तो इन देशों के सह-सीमस्थ थानों का मानचित्र चिपकाये जायेंगे । किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी हस्तक के नियम-131 के तहत एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार.....18/-

27-तख्ती नं0-16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना की प्रति, थाना सं0, गाँवों की संख्या, आबादी, क्षेत्रफल आदि की सूची रखी जाती है । सूची के अनुसार इस थाना क्षेत्रान्तर्गत कुल 9 गाँव, 4 पंचायत, आबादी-25, 900 एवं क्षेत्रफल ।। स्कावयर वर्ग मील है ।

28- तख्ती नं0 17 :-

इस तख्ती में थाना में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मियों के जिम्मे कार्य वितरण से संबंधित सूचनाएँ अंकित की जाती है । पदाधिकारीवार सूची संधारित है एवं अद्यतन है ।

29- सब इन्सपेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं0 75 में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है । परन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र के अभाव में सादे नोट बुक में इसे थानाप्रभारी द्वारा संधारित किया जा रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त कर इसे संधारित करना सुनिश्चित करें ।

30- खतियान इन्सपेक्सन रजिस्टर पार्ट-। :-

खतियान इन्सपेशन रजिस्टर पार्ट-। विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें 68 कॉलम हैं । पूर्व में 64 कॉलम में संधारित होता था । यह आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है । पंजी की स्थिति दयनीय है, जिसे सही ढंग से संधारित किया जाय । पंजी के सभी कॉलम अद्यतन भरा हुआ पाया गया ।

31- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट -।। :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम, अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है आदि आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है । इस पंजी में वर्ष की समाप्ति पर काण्डों से संबंधित विवरणियाँ अंकित की जाती है । वर्ष 2001 तक का विवरणी बनाया गया है, जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2001 में इस थाना में कुल 42 काण्ड प्रतिवेदित हुए हैं, जिसमें 34 काण्डों में आरोप पत्र समर्पित किया गया है। दो काण्ड सत्य पाये गये हैं,

लगातार....19/-

परन्तु अभियुक्त सूत्रहीन है, जिसके लिए अंतिम प्रतिवेदन सत्य सूत्रहीन समर्पित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त दो काण्ड असत्य घोषित किये गये हैं । 3 काण्डों में अंतिम प्रतिवेदन अभेज्ञेय समर्पित किया गया है । मात्र एक काण्ड जो हत्या से संबंधित है, लंबित है, जिसे निष्पादन किया जाना है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित काण्डों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

32- सी0डी0पार्ट -I :-

इस पंजी में दागी व्यक्तियों(डोसियर्स) की सूची रखी जाती है । इसे सही ढंग से संधारित किया जा रहा है ।

33- सी0डी0पार्ट -II :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध साबित होजाता है, तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध किया जाता है । इसमें दूसरे थाना काकेस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है । पंजी का अवलोकन किया । पंजी में पृष्टों का सत्यापन नहीं है । प्रायः किसी भी पंजी में पृष्टों का सत्यापन नहीं किया गया है, जो उचित नहीं है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना में संधारित सभी पंजियों में पृष्टों का सत्यापन कर पंजी के प्रथम पृष्ट पर अंकित करना सुनिश्चित करें । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि क्रमांक-202 जो थाना काण्ड संख्या 107/2002 दिनांक 14-6-2002 धारा 457, 380, 411 भा0द0वि0 का आरोप पत्र समर्पित किया गया है, जो प्राथमिकी के अभियुक्त राम नारायण दास पे0 तेतर दास, सा0-खजौली हाट बाजार , थाना-खजौली जिला-मधुबनी के विरूद्ध है ।

34- सी0डी0पार्ट-III :-

इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक, कृषि, साम्प्रदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ वर्षवार अंकित की जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि यह पंजी दो भाग में संधारित होता है । भाग-I में थाना क्षेत्र में होने वाले उत्सव, पूजा एवं इस अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण के तौर-तरीके का उल्लेख किया जाता है । थाना प्रभारी द्वारा इस पंजी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है । इस पंजी को थाना कार्दर्पण भी कहा गया है । नये आने वाले थाना प्रभारियों को इस पंजी से थाना क्षेत्र की स्थिति से अवगत होने में मदद मिलती है ।

लगातार.....20/-

35- अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी :-

यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला आता है, तो उसे अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी0डी0पार्ट-।। से जानकारी ली जाती है । अल्फाबेट पंजी में वैसे व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त होते हैं । यह पंजी सी0डी0पार्ट-।। में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनाई जाती है । इसे सादे पंजी में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी ने बताया कि तीन मामले लंबित है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें । विहित प्रपत्र के अभाव में यह सादे पंजी में संधारित है ।

36-एम0ओ0 रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम -357 के तहत फार्म सं0-76 ए. में एम0ओ0 रजिस्टर संधारित है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली जैसे लूटपाट किया गया अथवा नहीं, डंडा-लाठी से मारपीट किया गया था नहीं, उनके द्वारा जाते समय क्या-क्या बोला गया, आदि की प्रविष्टि की जाती है । पंजी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है । इस पंजी में राम नारायण दास पे0 सेतर दास, सा0थाना-खजौली का मोड्स "बी" में पृष्ट संख्या-7 के क्रमांक-9 में अंकित है ।

37- अप्राकृतिक मृत्यु :-

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है, परन्तु पंजी की स्थिति जर्जर है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का बाईडिंग कराना सुनिश्चित करें । विगत 5 वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	डूबने से	सर्प दंश से	पेड़ से गिरने से	वज्रपात से	जहर से	बिजली से	जलने से	विविध
1997	-	-	-	-	-	1	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	1	1
1999	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	2	-	1	-	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	1	-	-	-	-	-	-	1

थाना प्रभारी ने बताया यू0डी0काण्ड संख्या 2/2002 दिनांक 12-5-2002 भीतरा जाँच हेतु लंबित चला आ रहा है । इसके जाँचकर्ता अ0नि0 एम0 प्रसाद हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस मामला का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें ।

38- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

इस थाना में यह पंजी संधारित है । थाना प्रभारी ने बताया वर्ष 2002 में अब तक इस थाना में अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार से संबंधित दो मामले प्रतिवेदित हो चुके हैं, जिसका विवरण पंजी में अंकित किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शिकायत/आवेदन पत्र प्राप्त होते ही त्वरित गति से कार्रवाई करें ताकि इस अधिनियम के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके एवं पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े । जिला स्तर पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित "जनता दरबार" में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, उन्हें समुचित मदद नहीं की जाती है । विदित हो कि देवधा थाना क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं आये दिन विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव की सूचनाएँ मिलती रहती है । अतः थाना प्रभारी इस ओर विशेष ध्यान देंगे ।

39- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म-67 में यह पंजी संधारित करना है । इस थाना में विहित प्रपत्र के अभाव में यह पंजी सादे पंजी में संधारित किया गया है । इस थाना में कुल दो डी0बी0बी0एल0 बन्दुक जमा है । थाना प्रभारी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त शस्त्र कितने दिनों से और क्यों जमा है । इसके अतिरिक्त जप्त बन्दुक के निस्तार के संबंध में भी अविलम्ब वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय । इस हेतु थाना स्तर से क्या कार्रवाई की गई है के संबंध में भी अवगत कराया जाय ।

40- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत फार्म संख्या-69 में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है । परन्तु आरक्षी निरीक्षकों

लगातार.....22/-

द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारियों को नहीं भेजा जा रहा है । नियम 59(क) में यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि पृथक संख्या 6४ में, जो नित्य प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इन रिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे । आरक्षी निरीक्षक, बघनगर को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बघनगर को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

41- मालखाना पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 308 के तहत फार्म-51 में मालखाना पंजी संधारित किया जाना है । थानाप्रभारी ने बताया कि इस थाना में मालखाना उपलब्ध है, परन्तु सहायक अवर निरीक्षक प्रह्लाद पंडित, जो पूर्व में मालखाना के प्रभार में थे का स्थानान्तरण दरभंगा हो जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा अभी तक मालखाना का प्रभार नहीं सौंपा गया है, जिसके कारण मालखाना का विवरण ज्ञात नहीं हो सका । यह बहुत ही गम्भीर मामला है । थाना प्रभारी ने बताया कि मालखाना का प्रभार सौंपने हेतु उनके द्वारा आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से पत्राचार किया गया है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि सहायक अवर निरीक्षक प्रह्लाद पंडित, जो दरभंगा जिला बल में स्थानान्तरित होकर चले गये हैं, को अविलम्ब मालखाना का प्रभार सौंपने हेतु अपने स्तर से कार्रवाई करने की कृपा करें । मालखाना का प्रभार नहीं होने के कारण बहुत सारे मामलों का निष्पादन होने में कठिनाई हो रही है ।

42- मालखाना रिलीज भाउचर पंजी :-

मालखाना रिलीज भाउचर पंजी में सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जप्त सामग्री (मुद्दा माल) मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति इस पंजी में पेस्ट कर रखी जाती है । यह पंजी दो भागों में संधारित होती है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण नियमानुसार करना सुनिश्चित करें ।

43- गुण्डा पंजी :-

आरक्षी हस्तक के नियम-1316(क) के अनुसार अपराध शैली के अनुसार गुण्डों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार

लगातार......23/-

निम्नप्रकार के गुण्डा होते हैं :-

§1§ शराबी §2§ दवाब डालकर पैसा ऐंठने वाले §3§ मादक पदार्थों का अवैध कारवार करने वाले §4§ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले §5§ काला बाजारी करने वाले §6§ दंगाई §7§ मुकदमेबाज §8§ तोड़-फोड़ करने वाले §9§ सम्प्रदाय-वादी §10§ छात्रों को भड़काने वाले §11§ स्त्रियों एवं लड़कियों का व्यापार करने वाले §12§ जुआड़ी §13§ छीन-झोर करने वाले वाले एवं §14§ रेलगाड़ियों और बसों पर बदमाशी करने वाले ।

44- अपराध आँकड़ा :-

देवधा थाना के विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृह भेदन	चोरी	दंगा
1997	-	-	1§1§	-	3§1§	2§1§
1998	2	-	-	-	3§1§	1§1§
1999	-	1§1§	-	-	4§2§	-
2000	1	-	-	-	3§2§	2§2§
2001	1	-	1§1§	1§1§	1§1§	1§1§
2002 §17-11-02 तक§	2§1§	-	-	2§1§	-	1§1§

45-पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र संख्या 119 आ में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है, जिसमें §1§ न्यायालय से संबंधित §2§ विभाग से संबंधित §3§ सीमावर्त्ती थानों से संबंधित §4§ आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । इस थाना में दिनांक 17-11-2002 तक कुल प्राप्त पत्रों की संख्या 86 है एवं निर्गत पत्रों की संख्या 277 है । इस प्रकार प्राप्त पत्रों की संख्या निर्गत पत्रों की संख्या अधिक है । इससे थाना प्रभारी के कर्त्तव्यनिष्ठा परिलक्षित होती है ।

लगातार.....24/-

46- अनुक्रमणी पंजी :-

इस थाना में कितनी तरह की पंजियाँ अथवा तंक्किाएँ संधारित की गई है के संबंध में पूछने पर थाना प्रभारी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । बताया गया कि यह पंजी संधारित नहीं है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अनुक्रमणी पंजी तैयार कर थाना में उपलब्ध सभी पंजियों/तंचिकाओं को संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । अगर आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, जयनगर से भी मार्ग निर्देश प्राप्त किया जा सकता है ।

47- प्राथमिकी पंजी :-

थाना प्रभारी ने बताया इस थाने का प्राथमिकी जयनगर थाना में दर्ज की जाती है । यहाँ उसकी छायाप्रति रखी जाती है । पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस वर्ष निरीक्षण की तिथि तक 29 काण्ड अंकित हुए हैं जिसे अभिलेख के तौर पर अलग से संधारित किया गया है ।

48- अप्राथमिकी पंजी :-

विगत पाँच वर्षों का अप्राथमिकी आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

वर्ष	107, 116(1)(i), 113 दं0प्र0सं0	144, 145 दं0प्र0सं0	290 दं0प्र0सं0	133 दं0प्र0सं0	109, 110 दं0प्र0सं0	182/211 दं0प्र0सं0
1997	39	03	-	-	-	-
1998	51	07	-	02	-	-
1999	55	02	-	-	-	-
2000	15	02	-	02	-	02
2001	50	05	-	-	-	-
2002 (17.11.02 तक)	07	-	-	-	-	-

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002 में निरीक्षण की तिथि तक 107/116(1)(i)/113 में 7 व्यक्तियों

लगातार.....25/-

के विरूद्ध अप्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा गया है । जबकि 144/145, 290, 133, 109/110 एवं 182/211 में एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी को जानकारी की कमी है । आरक्षी निरीक्षक, जयनगर को निर्देश दिया जाता है कि इसका संधारण कैसे किया जाय, की जानकारी थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दें ।

49- रोकड़ बही :-

रोकड़ बही पंजी संधारित है । यह दो भाग में लिखा जाता है । भाग-I में कैदी मद में प्राप्त राशि एवं कैदियों के भोजन कराने में व्यय का विवरण अंकित किया जाता है । पंजी का अवलोकन किया जिसमें 2, 444/-रूपया व्यय किया गया है । भाग-II में थाना में पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मियों का वेतन भुगतान का उल्लेख किया गया है, जितके अनुसार अवशेष शून्य है ।

50- चौकीदारी पंजी :-

पुलिस हस्तक के नियम-13 के तहत विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी का संधारण किया गया है । चौकीदारों का उपस्थिति रोमण अंक में दर्ज की जाती है एवं अनुपस्थिति लाल स्याही से इटालियन में अंकित किया जाता है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एक भी चौकीदार अनुपस्थित नहीं हैं । चौकीदारों /दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति	अतिरिक्त
1-	दफादार	1	1	-	-
2-	चौकीदार	17	17	-	-
	कुल :-	18	18	-	-

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची पूर्ण पता सहित निम्नवत है :-

क्रमांक	बीट संख्या	पदनाम	नाम	गाँव का नाम
1-		दफादार	उपेन्द्र यादव	गाढ़ा
2-	4/9	चौकीदार	रामवृक्ष पासवान	गाढ़ा
3-	5/10	चौकीदार	लक्ष्मी पासवान	धमियाँ पट्टी
4-	5/6	चौकीदार	रामचन्द्र पासवान	रजौली

लगातार.....26/-

5-	4/1	चौकीदार	रौब अलीम	देवरा
6-	बोईर	चौकीदार	परमेश्वर कामत	देवरा
7-	बोईर	चौकीदार	बिलजुग कामत	गाढ़ा
8-	4/10	चौकीदार	रामपुत पासवान	इनरवा
9-	बोईर	चौकीदार	राजकारी कामत	देवरा
10-	बोईर	चौकीदार	मंगराम पासवान	गाढ़ा
11-	4/3	चौकीदार	दुर्गानाथ पासवान	सिकटाटोल
12-	4/5	चौकीदार	सिपाही हक	देवरा
13-	4/8	चौकीदार	हरि नारायण पासवान	बडीर
14-	बोईर	चौकीदार	कोई पासवान	सिकटाटोल
15-	4/4	चौकीदार	फुलन कामत	देवरा
16-	4/6	चौकीदार	रौब अदद	देवरा
17-	4/2	चौकीदार	दाखिलाम महतो	करताही
18-	4/7	चौकीदार	बहादुर दास	बडीर

51- चौकीदार डिस्ट्रीब्यूशन पंजी :-

इस थाना के चौकीदार डिस्ट्रीब्यूशन पंजी लिखित रूप में संधारित है एवं अद्यतन है।

52- केबल विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

इस थाना के अन्तर्गत केबल विशेष कांडों की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	कांड संख्या/वर्ष/तिथि	धारा	अनुसंधानकर्ता का नाम	केबल का कारण
1-	241/2001 19-12-2001	302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।	अ0नि0 बी0 राम	गिरफ्तारी एवं अपील है
2-	116/2002 25-06-2002	363/366 ए/368/372 भा0द0वि0	अ0नि0 ...	164 दं0प्र0सं0 का बयान हेतु।

लगातार.....27/-

3-	166/2002 16-08-2002	धारा 341§323§,452/354/504/34 भा0द0वि0 एवं 3§11§ अनु0जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम ।	स0अ0नि0 एस0एन0सिंह	पर्यवेक्षण हेतु ।
4-	175/2002 01-09-2002	धारा 341/323/504/498§ए§/494 भा0द0वि0	अ0नि0 बी0 राम	पर्यवेक्षण एवं आदेश हेतु ।
5-	197/2002 07-10-2002	धारा 379/511/153ए भा0द0वि0	स0अ0नि0 एस0एन0सिंह	पर्यवेक्षण ।
6-	206/2002 22-10-2002	धारा 498§ए§/494/323/379/34 भा0द0वि0	अ0नि0 बी0राम	आदेश हेतु ।
7-	215/2002 06-11-2002	धारा 489 बी/489 सी भा0द0वि0	अ0नि0 बी0 राम	आदेश हेतु ।
8-	217/2002 08-11-2002	धारा 302/34 भा0द0वि0	अ0नि0 एम0 प्रसाद	पर्यवेक्षण हेतु ।

53- लंबित अविशेष काण्डों की विवरणी :-

इस थाना में लंबित अविशेष काण्ड के अन्तर्गत मात्र एक मामला काण्ड संख्या 218/2002 दिनांक 10-11-2002 धारा 379/34 भा0द0वि0 ,जो पर्यवेक्षण हेतु अ0नि0 एम0 प्रसाद के स्तर पर लंबित है ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित सभी विशेष एवं अविशेष काण्डों का निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

54-सम्मान गार्ड :-

निरीक्षण हेतु पहुँचने पर सम्मान गार्ड कवायद द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सलामी दी गयी । सभी आरक्षियों का टर्न आउट अच्छा रहा ।

लगातार.....28/-

55- थाना प्रभारी के कर्त्तव्य :-

थाना प्रभारी से पूछने पर उनका कर्त्तव्य क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया जबकि उन्हें प्रशिक्षण अवधि में ही इसकी जानकारी दे दी जाती है । बिहार पुलिस हस्तक के नियम 8।(क) में थाना प्रभारी का क्या कर्त्तव्य है, उसकी विवरणी निम्नवत है :-

(क) अधिक्षेत्र वासियों की गहरी जानकारी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना ।

(ख) अपराध और अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और अजनबियों के संबंध में चौकीदारों से यथारीति और अविलम्ब ब्यौरे प्राप्त करना ।

(ग) अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखना ।

(घ) अपराध-निर्देशिका तथा निगरानी अभिलेखों को यत्न से रखना तथा मनन करना ।

(ङ) सघन गश्त की व्यवस्था करना ।

(च) अपजीविका के केसों में अभियोजन रिपोर्ट उपस्थापित करना ।

(छ) सीमावर्त्ती थानों के अधिकारियों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों के साथ-साथ अन्य निर्देशों का अनुपालन सख्ती से करें ।

56- अन्यान्य :-

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक में पी०पी० द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्यूटल का सामना करना पड़ता है । अतः थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें एवं केस डायरी की मांग किये जाने पर तत्समय उपस्थापित करेंगे ।

(ख) ए०पी०पी० द्वारा जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव, थानाप्रभारी लंबित काण्डों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित कराते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

लगातार....29/-

(ग) नीलाम-पत्र वादों में निर्गत बी0 डब्लू0/डी0डब्लू0 का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमादी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लायी जा सके ।

(घ) भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति व्यवस्था कायम रखने में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से नियमित रूप से सम्पर्क स्थापित कर /समन्वय बनाकर अपेक्षित सहयोग दें ।

(ङ) बिहार पुलिस हस्तक के नियम 100 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति काप्रयोग करते हुए थानाक्षेत्र में किये गये अतिक्रमण को मुक्त करावें ।

(च) गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से पेश आयें।

(छ) आसूचना संग्रह अथवा विविध कार्य हेतु चौकीदार/दफादारों की सेवा सप्ताह में कम से कम एक दिन अंचल अधिकारी को उपलब्ध करावें ।

(ज) चौकीदारी पैरेड का निरीक्षण के दौरान सभी चौकीदारों को निर्देश दिया गया कि गाँव के बारे में, असामाजिक तत्वों के बारे में एवं अन्य गतिविधि के बारे में थाना को निश्चित रूप से सूचना दें ।

57- निष्कर्ष :-

आम तौर पर इस थाना का कार्य-कलाप संतोषप्रद कहा जा सकता है । थाना प्रभारी श्री बी0 राम एक चुस्त पदाधिकारी हैं । यद्यपि श्री राम इस थाना के लिए एक नये पदाधिकारी हैं, फिर भी नई बातों को सीखने की प्रवृत्ति है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित इस थाना रहने के फलस्वरूप अत्यन्त सचेत रहने की आवश्यकता है ।साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें । थाना स्थित सभी पंजियों में पृष्टों का सत्यापन पंजी के प्रथम पन्ने में अवश्य करें । यदि इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाता है तो थाना के कार्यकलाप में और भी गुणात्मक सुधार आ सकता है ।

30.11.2002

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

लगातार....30/-

ज्ञाप संख्या 3753 /सामान्य, मधुबनी, दिनांक 30 नवम्बर, 2002 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि गृह सचिव, गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक(प्रशासन), बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, जयनगर/आरक्षी निरीक्षक, जयनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि थाना प्रभारी, देवधा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Majumdar 30.11.2002

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।